

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2017/PM 10/2

New Delhi, dated 15.09.2023

**The General Manager (P),  
All Zonal Railways and PUs etc.,  
(As per standard list).**


**Sub: Staff Nurse vacancies in Indian Railways-Amendment to extant provision facilitating selection of serving employees who possess Educational Qualification-reg.**

Attention is drawn to PNM/NFIR Item No. 19/2018 wherein Federation has proposed that extant provision may be modified for providing opportunity to serving qualified employees to pass selection to the post of Nursing Superintendent (GP 4600/7<sup>th</sup> CPC Pay Matrix Level-7), as same is available in the category of Pharmacists in terms of para 162 of IREM, Volume I.

The matter has been examined in consultation with the Health Directorate. Extant provision provides that it is within General Manager's power to conduct GDCE in categories where there is an element of Direct Recruitment of 25% or more. The provision of GDCE may be used by Railways to provide avenue to the staff with requisite qualification.

Hindi version will follow

Please acknowledge receipt.

  
(Sanjay Kumar)  
Deputy Director Estt.(N)  
Railway Board  
Tele No. 23303658

---

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in  
3<sup>rd</sup> Floor, Room No.359-A, Rail Bhawan, New Delhi-110001, E-mail sanjay.kumar6@gov.in

mail 19/9/23  
10:24 am



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2017/ पीएम 10/2

नई दिल्ली, दिनांक: 15.09.2023


महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल में स्टाफ नर्स की रिक्तियां-शैक्षिक अर्हता रखने वाले सेवारत कर्मचारियों के चयन को साध्य बनाने वाले मौजूदा उपबंध में संशोधन।

आपका ध्यान पीएनएम/एनएफआईआर मद संख्या 19/2018 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें फेडरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि सेवारत अर्हक कर्मचारियों को परिचर्या अधीक्षक (ग्रेड वेतन 4600/7वां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन सारणी लेवल-7) के पद के लिए चयन उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान करने हेतु मौजूदा उपबंध को आशोधित किया जाए, जैसा कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I के पैराग्राफ 162 के मामले में भेषजज्ञों की कोटि में उपलब्ध है।

इस मामले की स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है। मौजूदा उपबंध कहता है कि उन कोटियों में सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करना महाप्रबंधक की शक्ति के अंदर है जहां सीधी भर्ती का तत्व 25% या इससे अधिक है। रेलवे द्वारा अपेक्षित अर्हता रखने वाले कर्मचारियों को मार्ग उपलब्ध कराने के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उपबंध का उपयोग किया जा सकता है।

कृपया पावती दें।

  
(संजय कुमार)

उपनिदेशक स्थापना (अ.राज.)  
रेलवे बोर्ड  
टेली नं. 23303658

सं. ई (एनजी)I-2017/ पीएम 10/2

नई दिल्ली, दिनांक: 15.09.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियाँ).
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियाँ).
3. सभी सदस्य/विभागीय परिषद/राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव/कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियाँ).
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियाँ).
5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियाँ).
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
12. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.अ.)/रेलवे बोर्ड